[2008] 2 S.C.R. 721

यू.पी. राज्य

बनाम

जगराम और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 293/2008)

12 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 एस.एस. 302 और 304 आर/डब्ल्यू. एस. 34 -

विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि - उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति - फरियादी की अपील पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया गया -

राज्य की अपील पर माना गया : फरियादी द्वारा दायर अपील में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए निस्तारण किया गया।

आपराधिक अपील नं. 233/2004 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित 22.3.2006 - पर भरोसा

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील नं. 293/2008

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ के निर्णय एवं आदेश दिनांक 11-08-2003, लखनऊ में आपराधिक अपील संख्या 486/1980.

एस.आर. सिंह, टी.एन. सिंह और अनिल कुमार झा : अपीलार्थी की ओर से।

सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन, सृष्टि जैन, एच.डी. थानवी, प्रतीभा जैन और रामेश्वर प्रसाद गोयल : प्रतिवादीगण की ओर से।

निर्णय पारित किया गया द्वारा:

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में आपराधिक अपील संख्या 486/1990 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 11.8.2003 को चुनौती दी गई है।

चार व्यक्तियों ने उपरोक्त अपील दायर की थी जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई.पी.सी.') की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302, 324 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उनकी दोषसिद्धि पर सवाल उठाया गया था। हालाँकि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि दर्ज कर ली थी, लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपील की अनुमति दी और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

यह नोट किया गया कि गवाहों के साक्ष्य में कई विसंगतियां थी और अभियोजन पक्ष विश्वास से प्रेरित नहीं था।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने निवदेन किया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही नहीं है और साक्ष्य का विश्लेषण विभिन्न कमजोरियों से ग्रस्त है।

4. इस समय, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिकायतकर्ता उस्मान अली ने वर्तमान अपील में दिए गए फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए इस न्यायालय के समक्ष 2004 की आपराधिक अपील संख्या 233 दायर की थी। इस न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.3.2006 द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अपील की अनुमति दी।

तीन चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होती है। उच्च न्यायालय ने यह देखने में त्रुटि की है कि इन गवाहों पर पाई गई चोटें अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप नहीं हैं, जबकि ऊपर बताई गई चोटों से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष का मामला चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है।

इसके अलावा, उनके साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि वे परिवार के सदस्य थे, बल्कि वे घर के निवासी होने के कारण सबसे सक्षम व्यक्ति थे, खासकर जब घटना घर में आधी रात को घटित हुई थी। यह स्थिति होने के कारण, हमें उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है। हमारे विचार में, विचारण न्यायालय का इन तीन चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा करना बिल्कुल उचित था और उच्च न्यायालय ने इसे खारिज करने में गलती की है।

अंत में, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर भी बरी करने के अभिलेखबद्ध में त्रुटि की है कि जांच रिपोर्ट में आरोपी व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। हमारे विचार में, यह शायद ही आरोपी व्यक्तियों को बरी करने का आधार हो सकता है। उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को दोषी ठहराना काफी उचित था और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया बरी करने का निर्णय विकृति के दोष से ग्रस्त है, इसलिए यह रद्द किया जाना योग्य है।

तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दोषमुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज प्रतिवादी की सजा को पुनः स्थापित किया जाता है। प्रतिवादीगण, जो जमानत पर हैं, के जमानत बंधपत्र रद्द कर दिए जाते हैं और उन्हें सजा की शेष अवधि काटने के लिए तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया जाता है, प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर विचारण न्यायालय अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजे।

5. मामले के इस दृष्टिकोण में, वर्तमान अपील में आगे कुछ भी करने को नहीं बचता है। हालाँकि, यदि पक्षकारान ने वर्तमान अपील की लम्बितता के बारे में आपराधिक अपील संख्या 233/2004 की सुनवाई कर रही पीठ के ध्यान में लाया होता, तो इसे एक साथ लिया जा सकता था। जाहिर है, ऐसा नहीं किया गया.

6. अपील तदनुसार निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी हिम्मत राज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।